पेज 8 का शेष...

बिना प्रक्रिया...

decision taken in accordance with the rule of law."
(See also: **Commissioner of Police, Bombay v. Gordhandas Bhanji,** AIR 1952 SC 16)
41. It is a matter of common experience that a large number of orders/letters/circulars, issued by the State/statutory authorities, are filed in court for placing reliance and acting upon it. However, some of them are definitely found to be not in conformity with law. There may be certain such orders/circulars which are violative of the mandatory provisions of the Constitution of India. While dealing with such a situation, this Court in **Ram Ganesh Tripathi & Ors.v.State of U.P. & Ors.**, AIR 1997 SC 1446 came across with an illegal order passed by the statutory authority violating the provisions of Articles 14 and 16 of the Constitution. This Court simply brushed aside the same without placing any reliance on it observing as under:
*"The said order was not challenged in the writ petition as it had not come to the notice of the appellants. It has been filed in this Court along with the counter affidavit .....**This order is also deserved to be quashed as it is not consistent with the statutory rules. It appears to have been passed by the Government to oblige the respondents ….."***
(emphasis added)
42.The whole exercise done by the State authorities suffers from the vice of arbitrariness and thus is violative of Article 14 of the Constitution.Therefore,it cannot be given effect to.....

दस साल पहले समाप्त हो चुके एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज

वाह...री लखनऊ पुलिस

❍आनन्द गिरि 'बाबा', एडवोकेट

शहर की कानून व्यवस्था दुरस्त हो तो कैसे? जब यहाँ की पुलिस को नियम कानून की जानकारी ही नहीं रहती। इस अनभिज्ञता का फायदा जहाँ अपराधियों को मिलता है वहीं शरीफ इसके शिकार हो जाते हैं।

कुछ समय पहले चिनहट थाने की पुलिस ने एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है कुछ बंगलादेशियों को विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन उन पर धाराएं ऐसे एक्ट की लगायी जो १० वर्ष पहले रिपील हो चुका है। यह मामला जब ट्रायल के लिए कोर्ट में पहुंचा तो अभियुक्तों की पैरवी कर रही विद्वान अधिवक्ता प्रतिभा राव ने इस पर जोरदार बहस करके इन धाराओं में अभियुक्तों को बरी करा दिया। ❑

जिज्ञासा-समाधान

प्रश्नः क्या भारतीय संसद विदेशी मुद्दों पर कानून बना सकती है?
-निरंजन कुमार, बांदा

उत्तर : भारतीय संसद उन्हीं विषयों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है जिनका संबंध, पक्ष अथवा कारण देश की सीमा के अंदर हो लेकिन यदि कोई ऐसा मुद्दा जिसका प्रभाव देश पर पड़ सकता है या देश से ताल्लुक रखता है, देश हित के सम्बंध में कानून बनाने का अधिकार है।

अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली विधान पीठ ने यह व्यवस्था भी दी है।

प्रश्नः मेरे पिताजी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है। मैं उनकी विवाहित पुत्री व एक मात्र उत्तराधिकारी हूँ लेकिन बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति देने से यह कहकर इनकार कर रही है कि विवाहित बेटी क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं होती। क्या ऐसा कोई नियम है?
-अंजना

उत्तरः मृत व्यक्ति का कोई आश्रित न होने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा १४० के अर्न्तगत बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कोई अन्य क्लेमेण्ट न होने पर विवाहित पुत्री भी क्लेम पाने की अधिकारी होती है।

उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति अरिजित पसायत व न्यायधीश एस.एच. कपाड़िया की पीठ ने भी मंजरी बेरा की अपील को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी थी जिसमें ओरियन्टल इन्श्योरेंश कम्पनी द्वारा उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि विवाहित पुत्री क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं होती।

प्रश्नः क्या व्यापारिक लेन-देन में अग्रिम भुगतान मनी लेण्डिग (महाजनी) की श्रेणी में आता है। -विराट भगनानी, आगरा

उत्तरः यदि दोनों पक्षों के बीच में व्यापारिक संबंध है तथा अग्रिम धनराशि माल आपूर्ति के लिए दी गयी है तो यह सामान्य व्यापार श्रेणी में आयेगा इस पर मनी लेण्डिग कानून नहीं लागू होता क्यों कि यह भुगतान माल की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होता है।

कतन्ना

-शब्दवेधी

❑ सरकार ने टैक्स कानून लागू कर मामले को गोपनीयता के आवरण से ढक दिया है
-रामजेठमलानी, पूर्व कानून मंत्री (कालेधन पर)

♦ क्या जब आप कानून मंत्री थे तब विदेशों में भारत का काला धन नहीं जमा था?तब आपने उनके नाम उजागर करने व इसे भारत लाने के लिए क्या किया था। आप जिस दल से सांसद हैं उसने ६ वर्ष केन्द्र में सरकार चलायी है उस समय आपकी पार्टी ने इसके लिए क्या किया? जब आप लोगों ने जनता का पैसा खा कर देशहित का काम नहीं किया तो क्या दण्ड नहीं मिलना चाहिए?

❑ कालेधन को विदेशों में छुपाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
-राहुल गांधी पुत्र सोनिया गांधी, नाती इंदिरा गांधी, परनाती जवाहर लाल नेहरू

♦ आजादी के बाद ६३ वर्षों में लगभग २० वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया है जाहिर सी बात है उसी के समय में ८० प्रतिशत कालाधन विदेश में जमा हुआ है। जब राज आप कर रहे हैं तो कार्रवाई क्या पाकिस्तान या अमेरिका करने आयेंगे?होना चाहिए/करना चाहिए छोड़िए ये बताइये अबतक किया क्या है?

❑ जब राजनेता व अफसर ईमानदारी छोड़ते हैं तो अहत होती है जनता -मनमोहन सिंह

♦ अब तक तो आपकी कार्य प्रणाली से कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। आप अफसर भी रह चुके हैं अब राजनेता भी हैं और सबसे ज्यादा घोटाले आपके ही शासनकाल में अफसर व राजनेता किये लेकिन अब भी आप उनको सजा दिलवाने के बजाय बचाव ही कर रहे हैं। अगर आपको जनता के आहत होने की जरा सी भी चिंता होती तो इन घोटाले बाजों का बचाव करने की जगह इनको जेल भेजने में रूचि दिखाते।

❑ मुलायम पूर्वांचल के हमदर्द है तो बनवाएं सैफई जैसा स्टेडियम -अमर सिंह

♦ अब पहले उनको मुख्यमंत्री तो बनाइए। जब सैफई में स्टेडियम बन रहा था तब तो उनका तलवा चाट रहे थे तब यह माँग क्यों नहीं की। तब तो उसी सैफई में बम्बई की रंडिया नचवाते थे।

❑ प्रदेश में मिस्र जैसे हालात पैदा कर दो -मुलायम सिंह यादव

♦ यह कायरों का देश है। गुलामी उसके रग-रग में है या कहा जाय खून नहीं बल्कि जीन में है। आन्दोलन के लिए हिम्मत चाहिए कायरों में हिम्मत होती नहीं आपको तो यह सब मालूम होना चाहिए क्यों कि आपके मुख्यमंत्रित्व काल में भी तो यही सब होता था तो जनता ने कहां मिस्र जैसे हालात पैदा किए थे? और जब तब नहीं किया तो अब क्यों करे? वैसे यह बात भी समझ से परे है कि आप बात केवल उत्तर प्रदेश की क्यों कर रहे हैं हालात तो पूरे भारत के ऐसे ही हैं? आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कांग्रेस का आपके प्रति नरम रवैया कहीं इसका एक कारण तो नहीं?

❑ वहां पर बहुत सारे पेपर रखे थे हमने गलती से पुर्तगाल का भाषण वाला पेपर उठा लिया था
-एस.एम.कृष्णा, विदेश मंत्री भारत सु.पं. में पुर्तगाल का भाषण पढ़ने पर

♦ ऐसा काम कोई चपरासी करता तो नौकरी से निकाल दिया जाता। आप लोगों की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं ऐसी ही गलतियों का गैरजिम्मदारियों का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जो लोग चपरासी बनने लायक नही है वे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ❑

प्रतिक्रिया